उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए–4/ई–1/2026
दिनांक : 26/10/2026

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 26.10.2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 26.11.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अंतिम तिथि: 03.12.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को **O.T.R.** पंजीकरण **(O.T.R Registration)** कर **O.T.R** नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट **https://otr.pariksha.nic.in** से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(C) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवदेन करते समय सभी चरणों (यथा–O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

<u>**विशेष सूचना**</u> :– **(क)** आवेदन **'Submit'** करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। **O.T.R.** के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और **e-mail ID** पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा **e-mail** के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. <u>ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना</u>

यह विज्ञापन आयोग की **<u>Website https://uppsc.up.nic.in</u>** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में **<u>'O.T.R. BASED APPLICATION' system</u>** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें:–

आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर **<u>"ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS"</u>** अभ्यर्थी द्वारा **<u>Click</u>** करने पर **<u>'ON-LINE ADVERTISEMENTS'</u>** स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:–

<u>(i) User Instructions</u>
<u>(ii) View Advertisement</u>
<u>(iii) Apply</u>

<u>User Instructions</u> में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने **<u>"View Advertisement"</u>** को **<u>Click</u>** करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **<u>Sample Snapshots</u>** भी प्रदर्शित होंगे।

''ऑन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

<u>प्रथम चरण</u> – 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष **<u>'Authenticate with O.T.R.'</u>** प्रदर्शित होगा तथा **'Authenticate with O.T.R.'** पर Click करने के उपरान्त **<u>'Have You Completed your O.T.R. Registration'</u>** प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदिः–

(i) **<u>'Yes'</u>** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **<u>'Click here to Authenticate'</u>** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.R. अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **<u>Authenticate</u>** कर सकते हैं। **<u>Authentication</u>** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **<u>'No'</u>** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तोः– (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ. टी.आर. वेब पोर्टल **(https://otr.pariksha.nic.in)** से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

<u>द्वितीय चरण</u>– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

<u>तृतीय चरण</u>– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट **'प्रिन्टर आइकन'** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

<u>नोटः– ऑन–लाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।</u>

<u>चतुर्थ चरण</u>–तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

<u>विशेष अनुदेश</u>

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध मे सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) (क) प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) ''अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।''

2- <u>आवेदन शुल्क</u> : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(I)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग –	परीक्षा शुल्क रू 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 125/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति –	परीक्षा शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(iii)	दिव्यांगजन –	परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक –	परीक्षा शुल्क रु0 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी –	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष चयन) मुख्य (लिखित) परीक्षा–2026 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगें। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद् को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग, द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा :–

क्रम सं.	मुख्य परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1.	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2.	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3.	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4.	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी–अधिमान की गणना हेतु कट–ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्याः– वर्तमान में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा–2026 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 501 है। प्रश्नगत् परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्नवत् हैः–

पदवार/श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण (सामान्य चयन)

क्र. सं.	विषय का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अ.पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू. एस.	स्व.सं. से.	दिव्यांग जन	भू.पू.सै.	महिला	उत्कृष्ट खिलाडी
1.	उ.प्र. सचिवालय	समीक्षा अधिकारी	122	51	56	03	12	12	02	04 (01–बी.) (01–एच.एच.) (01–ओ.ए.) (01–एल.वी.)	06	24	00
2.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	समीक्षा अधिकारी	03	02	01	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	उ.प्र. राजस्व परिषद	समीक्षा अधिकारी	06	04	02	00	00	00	00	00	00	01	00
4.	उ.प्र. सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	31	11	09	01	09	01	00	01(बी.)	01	06	00
5.	उ.प्र. सचिवालय	सहायक समीक्षा अधिकारी	261	153	26	01	55	26	05	10 (02–बी.) (01–एल.वी.) (04–एच.एच.) (01–सी.पी.) (01–एल.सी.) (01–डी डब्लू.)	13	52	05
6.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	सहायक समीक्षा अधिकारी	21	11	02	00	07	01	00	00	01	04	00
7.	उ.प्र. राजस्व परिषद	सहायक समीक्षा अधिकारी	02	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8.	महाधिवक्ता कार्यालय	सहायक समीक्षा अधिकारी	45	20	09	01	11	04	00	01(डीडब्लू.)	02	09	00
9.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	व्यवस्थापक	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	अवधाता	01	01	00	00	00	00	000	00	00	00	00
11.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	स्वागती	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12.	उ.प्र. लोक सेवा आयोग	भण्डारी	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00

पदवार/श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण (विशेष चयन)

क्र. सं.	विषय का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अ.पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू. एस.	स्व.सं. से.	दिव्यांग जन	भू.पू.सै.	महिला	उत्कृष्ट खिलाडी
1.	उ.प्र. सचिवालय	सहायक समीक्षा अधिकारी(लेखा)	06	00	03	00	03	00	00	00	00	01	00

दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियां

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पद का नाम	चिन्हांकित उपश्रेणियां
1	उ0प्र0 सचिवालय	समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, बी0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0
		सहायक समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, बी0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0
		समीक्षा अधिकारी(लेखा)	एल0वी, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, बी0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0
		सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	एल0वी, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, बी0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0
2	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0, एम0डी0
		सहायक समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0, एम0डी0
		व्यवस्थापक	दिव्यांगजन की उपश्रेणियां चिन्हांकित नहीं है।
		अवधाता	दिव्यांगजन की उपश्रेणियां चिन्हांकित नहीं है।
		स्वागती	दिव्यांगजन की उपश्रेणियां चिन्हांकित नहीं है।
		भण्डारी	दिव्यांगजन की उपश्रेणियां चिन्हांकित नहीं है।
3	राजस्व परिषद, उ0प्र0	समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, ओ0एल0, एम0डी0
		सहायक समीक्षा अधिकारी	एल0वी, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, ओ0एल0
4	महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उ0प्र0	सहायक समीक्षा अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0,

<u>नोटः–</u> उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति/अर्हताओं के जिन पदों के अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जायेंगे, इस चयन में सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

<u>वेतनमानः–</u> ₹ 29200–64700/– (लेवल–5) से ₹ 47600–151100/– (लेबल–8) तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित है।

5. आरक्षणः उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

<u>नोटः</u>– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का–2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/ का–2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है', को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय –ज्ञाप सं. –1/2019/4/1/2002 /का–2/19 टी.सी.–।।, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) कुशल खिलाड़ियों हेतु नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–52/दो–4/75–नियुक्ति–4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 एवं शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 और उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियामवली, 2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(6) उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(7) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(8) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(9) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(10) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु)</u>:–

आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या–22/10/1976–कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैंः–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. <u>शैक्षिक अर्हता</u> :– (क) समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन–लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें, किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट/शैक्षिक अर्हतायें भी हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	पदनाम	विभाग का नाम	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमानी)
1	सहायक सभीक्षा अधिकारी	उ0प्र0 सचिवालय/ राजस्व परिषद, उ0प्र0/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग/ महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट,उ0प्र0	**<u>उ0प्र0 सचिवालय/राजस्व परिषद, उ0प्र0</u>** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, (2) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल प्रमाण–पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता, (3) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। **नोटः–** अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। **<u>उ0प्र0 लोक सेवा आयोग</u>** (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' स्तर का प्रमाण–पत्र। (ग) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। **नोटः–** अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। **<u>महाधिवक्ता कार्यालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उ0प्र0</u>** (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करता हो। (ख) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 (पूर्ववर्ती डी0ओ0ई0ए0सी0सी0) से 'ओ0' स्तरीय प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता धारित करता हो। (ग) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो। **नोटः–** ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्हें अंग्रेजी टंकण का भी अच्छा ज्ञान हो।
2	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	उ0प्र0 सचिवालय	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में ''ओ'' स्तरीय प्रमाण–पत्र। (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।

			समकक्ष अर्हताः– ''केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सी0ए0 / आई0सी0डब्लू0ए0 कोर्स में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां।''
3	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	उ0प्र0 सचिवालय	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में ''ओ'' स्तरीय प्रमाण–पत्र। (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान। **समकक्ष अर्हताः–** ''केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सी0ए0 / आई0सी0डब्लू0ए0 कोर्स में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां।''
4	अवधाता	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	Bachelor's Degree from a recognised University. **अधिमानी :–** (क) पाक कला, बेकरी, टेबललेइंग, पुष्पसज्जा में एक वर्ष का पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम (ख) बागवानी का ज्ञान। (ग) लेखा नियमों का ज्ञान। और (घ) प्रशासनिक अनुभव यथा फर्राश, माली, चौकीदार, अनुचर और सफाई वालों का पर्यवेक्षण। **नोटः– अधिमानी अर्हता के बिन्दु–**(क) के समकक्ष अर्हता में निम्नलिखित पाठ्यक्रम समकक्ष माने जायेंगेः– (1) Minimum One year Diploma in Food Pruduction (पाक कला) (2) Minimum One year Diploma in Bakery and Confectionery (बेकरी एवं मिठाई) (3) Minimum One year Diploma in Food and Beverage Service (खानपान सेवा) (4) Minimum One year Diploma in House Keeping (गृह सज्जा) सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य प्राविधिक शिक्षा मण्डल अथवा राष्ट्रीय परिषद होटल प्रबन्ध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम भी उक्त के समकक्ष हैः– (I) राष्ट्रीय परिषद होटल प्रबन्ध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा मान्यता प्राप्त / संचालित Accommodation Operation में न्यूनतम एक वर्ष का Post Graduate Diploma पाठ्यक्रम । (II) भारत में राज्य सरकारों द्वारा संचालित कौशल केन्द्र द्वारा निर्गत Hospitality Operation and Food Production में न्यूनतम 01 वर्ष का पाठ्यक्रम जो NCVT (National Council for Vocational Training) द्वारा मान्य हो।
5	स्वागती	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	(क) डिग्री स्तर पर किसी एक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान और स्थापत्य कला में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
6	व्यवस्थापक	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। अधिमानी अर्हता– (क) होटल प्रबंधन और खानपान सेवा में 03 वर्ष का डिप्लोमा, (ख) बागवानी का ज्ञान। (ग) लेखा नियमों का ज्ञान और (घ) प्रशासनिक अनुभव यथा फर्राश, माली, चौकीदार, अनुसेवकों, परिचरों, सफाई वालों और चालकों का पर्यवेक्षण।
7	भण्डारी	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अधिमानी अर्हता– भण्डारों के अनुरक्षण का अनुभव, वाणिज्य स्नातक को अधिमान दिया जायेगा।
	(ख) अन्य अधिमानी अर्हताएँ	समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी / समीक्षा अधिकारी (लेखा) / सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) / अवधाता / स्वागती / व्यवस्थापक / भण्डारी	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः– 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– (1) अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा।

(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–03/2023/312/47-का-2-312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :–''...........
....**3**–उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

(1)–ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)–उक्त बिन्दु संख्या–1 से आच्छादित प्रकरणों को छोडकर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी।

(2) मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक.स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।

(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा–नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

(3) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल प्रमाण–पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं.–08 / 2022 / 2 / 47–का–2–2022 / 02 एलसी / 2022, दिनॉक 05 मई, 2022 के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।

पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2006 (यथासंशोधित)
उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1999 (यथासंशोधित)
उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1993 (यथासंशोधित)
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समूह ''ख'' और समूह ''ग'' सेवा नियमावली, 2014
उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2009 (यथासंशोधित)

नोटः– आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

09. आयु सीमाः– (1.) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूटः– (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार

(एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो. उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि / कालावधि पूर कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

10. समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य / विशेष चयन) मुख्य (लिखित) परीक्षा–2026 के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200 / – एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – योग रु0 225 / – तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 / – एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – योग रु0 105 / – निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 / – एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – योग रु0 105 / – निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला, कुशल / उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट / जमा करना होगा।

(3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(5) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं मुख्य परीक्षा के समय मांगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन / प्रार्थना–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोटः– समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य / विशेष चयन) मुख्य (लिखित) परीक्षा–2026 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः–

(1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता / पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(10) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(11) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(13) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति–गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:– 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(16) चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/ संगत विधियों/ प्रभावी शासनादेशों/ मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(18) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1– अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

2– सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3– आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

4– आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वी–1–15–1(का) 14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6– किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7– आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–2** व **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

8–यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of **'I Agree'** only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom Fighter of U.P., Ex-servicemen of U.P., service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट – 1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ....ग्राम.. . तहसील ....नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर........................

दिनांक .... पूरा नाम........................

मुहर .... पद नाम........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.... .... निवासी ग्राम.. तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद कानाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या.. दिनांक ....

वित्तीय वर्ष ....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पति/पुत्री.. ग्राम/कस्बा........................ पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला ..

.... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र
<u>स्वयं घोषणा पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँः–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू .... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

दिनांकः–

<u>उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण–पत्र</u>
<u>(दिव्यांगजन प्रारूप)</u>
Form-II
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.......................... .... son/wife/daughter of Shri.............................Date of Birth (DD/MM/YY)..Age ....years, male/female.............................. registration No. .... permanent resident of House No. .... Ward/Village/Street.......................................Post office.. District..State... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is...

(A) he/she has ....% (in figure)....................................... percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her................................ (part of body) as per guidelines (.............number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr...............)	(Dr...............)	(Dr...............)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum .... son/wife/ daughter of Shri .... Date of birth (DD/MM/YY)..age.. years, male/ female..Registration No... permanent resident of House No.. Ward/Village/Street.. Post Office.. District.. State.. whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (....................... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidlines (............number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:

In figures............................percent.

In words..percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after........................... years................................... months, and therefore this certificate shall be valid till ....
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs
# - e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum. .... son/wife/daughter of Shri .... Date of birth (DD/MM/YY) ....age .... years, male/ female.........................Registration No.. permanent resident of House No...Ward/Village/ Street.......................................Post Office.. District.......................................State... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.

or

(ii) is recommended/after ....years .... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ....

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम.......................... तहसील...नगर.. जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ....के आश्रित हैं।

स्थान.. हस्ताक्षर ....
दिनांक.. पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी......................................
सीील..

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी . ... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित....................... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) ....ने दिनांक...............से दिनांक..................तक..................में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम)...................आयोजित राष्ट्रीय.............. में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक ....

.... से दिनांक .... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन विभाग
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम
अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री ....पुत्र / पुत्री...................... ....श्री / श्रीमती................. जिनकी जन्मतिथि..................................है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड...................जनपद.................. ......में दिनांक.....................से..........................तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया।

नोटः यह प्रमाण–पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है।

दिनांक :

....
विशेष सचिव, नियोजन विभाग

परिशिष्ट–2
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम
(अ) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना

प्रश्नपत्र का नाम	–	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी (सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण)।
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	वस्तुनिष्ठ प्रकारक।
प्रश्नपत्र की सख्या	–	एक (01)।
प्रश्नों की संख्या	–	दो सौ (200) (जिसमें सामान्य अध्ययन के कुल–140 प्रश्न तथा सामान्य हिन्दी के कुल–60 प्रश्न होंगे)।
प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	–	एक (01)।
प्रश्नपत्र का पूर्णांक	–	दो सौ (200)।
समयावधि	–	तीन (03:00) घण्टे।

(ब) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
1– सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 9. सामान्य बौद्धिक क्षमता, 10. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।

2–सामान्य हिन्दी

(i) विलोम	(10 शब्द)
(ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि	(10 वाक्य)
(iii) अनेक शब्दों के एक शब्द	(10 शब्द)
(iv) तत्सम एवं तद्भव शब्द	(10 शब्द)
(v) विशेष्य और विशेषण	(10 शब्द)
(vi) पर्यायवाची शब्द	(10 शब्द)

परिशिष्ट–3
(अ) मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना
प्रश्नपत्र–1

प्रश्नपत्र का नाम	–	सामान्य अध्ययन– प्रथम।
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	परम्परागत।
प्रश्नों की संख्या	–	बीस (20) – जिसमें दस (10) प्रश्न लघु उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक– आठ (08) तथा शब्द सीमा– पचहत्तर (75)। दस (10) प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक– बारह (12) तथा शब्द सीमा– एक सौ पच्चीस (125)।
प्रश्नपत्र का पूर्णांक	–	दो सौ (200)।
समयावधि	–	तीन (03:00) घण्टे।

प्रश्नपत्र–2

प्रश्नपत्र का नाम	–	सामान्य अध्ययन– द्वितीय।
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	परम्परागत।
प्रश्नों की संख्या	–	बीस (20) – जिसमें दस (10) प्रश्न लघु उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक– आठ (08) तथा शब्द सीमा– पचहत्तर (75)। दस (10) प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक– बारह (12) तथा शब्द सीमा– एक सौ पच्चीस (125)।
प्रश्नपत्र का पूर्णांक	–	दो सौ (200)।
समयावधि	–	तीन (03:00) घण्टे।

प्रश्नपत्र–3

प्रश्नपत्र का नाम	–	सामान्य हिन्दी एवं आलेखन।
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	परम्परागत।
प्रश्नों की संख्या	–	आठ (08) –जिसमें कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी होंगे। ध्यातव्य है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक इस विषय के संगत पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अवलोकनार्थ अंकित कर दिये गये हैं।
प्रश्नपत्र का पूर्णांक	–	दो सौ (200)।
समयावधि	–	तीन (03:00) घण्टे।

प्रश्नपत्र–4

प्रश्नपत्र का नाम	–	हिन्दी निबन्ध।
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	परम्परागत।
प्रश्नों की संख्या	–	दो निबन्ध– जिसमें प्रथम निबन्ध हेतु निर्धारित अंक अस्सी (80) व शब्द सीमा– आठ सौ (800) तथा द्वितीय निबन्ध हेतु निर्धारित अंक एस सौ बीस (120) व शब्द सीमा बारह सौ (1200) है।
प्रश्नपत्र का पूर्णांक	–	दो सौ (200)।
समयावधि	–	तीन (03:00) घण्टे।

(ब) मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र–1
विषय– सामान्य अध्ययन–I
1–भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति

- भारतीय संस्कृति – प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू।
- आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई. से 1947 ई. तक) : महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं व्यक्तित्व ।
- स्वतंत्रता संग्राम– इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई. तक)।

2– भारतीय समाज

- भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ।
- महिला–समाज और महिला – संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ और सामाजिक संरचना पर उनके प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।

3– भारत का भूगोल

- भारत का भौतिक भूगोलः संरचना, भू–आकृति, जलवायु, अपवाह तंत्र, मृदा और वनस्पति।
- भारत का आर्थिक भूगोलः कृषि और सिंचाई, खनिज और ऊर्जा संसाधन, उद्योग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन तंत्र।
- भारत का मानव भूगोलः जनसंख्या– संरचना, संयोजन, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ग्रामीण और नगरीय अधिवासः प्रकार और प्रतिरूप, महानगरीय केंद्रों का विकास।
- उत्तर प्रदेश का भूगोलः भौतिक, मानवीय और आर्थिक पहलू। योजना एवं विकास से संबंधित समसामयिक मुद्दे।

4– पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन

- पर्यावरणः अवधारणाएँ, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, जैविक और अजैविक घटक। ऊर्जा प्रवाह, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। जीवमण्डल।
- मानव–पर्यावरण संबंधः प्रदूषण (जल, वायु, ध्वनि और मृदा), पर्यावरणीय क्षरण, संरक्षण और प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।
- आपदाओं की प्रकृति एवं प्रकारः ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, महामारी और वैश्विक महामारी।
- आपदा प्रबंधनः प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, क्षति और हानि, आपदा प्रबंधन चक्र (तैयारी, बचाव, राहत एवं पुनर्निर्माण), एनडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका।

5–विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन में प्रभाव, दैनिक जीवन में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विज्ञान का अनुप्रयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की नीति, नई पहल राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप, विज्ञान परियोजनाओं में भारत और विश्व सहयोग।
- भारत में उपग्रह संचार, इन्सैट उपग्रह अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, क्रायोजेनिक रॉकेट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, विकास में अंतरिक्ष तकनीकों की भूमिका। भारत में आईटी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, प्रदर्शन प्रौद्योगिकी, दूरसंचार। मिसाइल प्रणाली और उनका वर्गीकरण, भारत की मिसाइल प्रणाली, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, भारत में यूएवी, गुप्त प्रौद्योगिकी, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार।
- नैनोसाइंस, नैनोटेक्नोलॉजी और नैनोमटेरियल्स, नैनोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, नैनोटेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभाव। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के अनुप्रयोग और बेरोजगारी के मुद्दे।
- भारत की परमाणु–ऊर्जा नीति, परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग, विकिरण का प्रभाव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के मुद्दे, परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदाएँ। जैव प्रौद्योगिकी एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ, बायोपाइरेसी के मुद्दे, बायोइनफॉरमैटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक आयाम।

प्रश्नपत्र–2
विषय– सामान्य अध्ययन–II
1–भारतीय राजव्यवस्था और संविधान

- भारतीय संविधान– ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संविधान के बुनियादी प्रावधानों के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका।
- संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँः संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।
- केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका।
- संसद और राज्य विधायिका– संरचना, कार्य, कार्य का संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और संबंधित मुद्दे।

2–शासन

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणालीः सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक / अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पीआईएल)।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य एवं उनकी जिम्मेदारियाँ।
- नीति आयोग सहित वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय, उनकी विशेषताएं और कार्यप्रणाली।
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप और उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और सूचना संचार

प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

3—अर्थव्यवस्था एवं कृषि

- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति (एस0डी0जी0), विनिर्माण क्षेत्रः चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ, ऊर्जा क्षेत्र का परिदृश्य, यातायात के विभिन्न साधनों की स्थिति—सतह, जल एवं वायु।
- सरकारी बजट एवं वित्तीय प्रणाली के घटक, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, विदेशी व्यापार : समस्यायें एवं सम्भावनायें।
- प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन एवं कृषि का वाणिज्यीकरण, विभिन्न प्रकार की खाद, उर्वरक, सिंचाई विधि तथा सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भण्डारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई—तकनीकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, कृषि विविधता, उ0प्र0 में कृषि की समस्यायें एवं उनका समाधान, कृषि में तकनीकी अभियान।

4—नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा

- नीतिशास्त्रः आधारतत्व एवं विशेषताएं— नैतिकता के मानक अध्ययन के रूप में नीतिशास्त्र; सत्य, सही एवं शुभ; नैतिकता, मूल्य, नीतिशास्त्र एवं अधिनीतिशास्त्र; प्रेरणा एवं उद्देश्य; नैतिक निरपेक्षवाद एवं सापेक्षवाद।
- नैतिक विचार— ऋत एवं धर्म; पुरुषार्थ एवं वर्णाश्रम धर्म; यम, नियम एवं ब्रह्म—विहार; उपयोगितावाद; कर्तव्य सिद्धान्त; संवेगवाद।
- मनोवृत्तिः स्वरूप, घटक तथा निर्माण। विचार तथा व्यवहार पर मनोवृत्ति का प्रभाव। नैतिक मनोवृत्ति निर्माण तथा परिवर्तन। सामाजिक प्रभाव तथा अनुनय।
- अभिक्षमता तथा भावनात्मक बुद्धिमताः अभिक्षमता तथा सत्यनिष्ठा का अर्थ। सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता, गैरपक्षपात, वस्तुनिष्ठता तथा समर्पण का महत्व। भावनात्मक बुद्धिमता की अवधारणा तथा आयाम। प्रभावी नेतृत्व, निर्णयन तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति एवं सहिष्णुता में भावनात्मक बुद्धिमता का योगदान।

5—समसामयिक घटनाएं

क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं खेलकूद के साथ

- **वैश्विक**
- **दक्षिण एशिया तथा सार्क**
- **भारत**
- **उत्तर प्रदेश**

प्रश्नपत्र—3

विषय— सामान्य हिन्दी एवं आलेखन

1. दिये हुए अपठित गद्यांश का शीर्षक, तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं संक्षेपण 5+15+10 =30 अंक
2. (क) किसी दिये गये सरकारी पत्र का सारिणी—रूप (Tabular form) में सार—लेखन 10 अंक

(ख) पत्राचार : शासकीय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय—ज्ञाप, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन 10+10 =20 अंक

3. पारिभाषिक शब्दावली : (प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली)
   (क) हिन्दी से अंग्रेजी रूपांतरण
   (ख) अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण 10+10 =20 अंक
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ : अर्थ एवं वाक्य—प्रयोग (केवल दस) 10X3 =30 अंक
5. (क) व्याकरण—विचार : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया 5X3 =15 अंक
   (ख) विराम—चिह्न 05 अंक
   (ग) अशुद्धि—शोधन : (i) शब्दगत (वर्तनी की) अशुद्धियाँ
   (ii) वाक्यगत अशुद्धियाँ 5+5 =10 अंक
6. वर्ण—विचार : स्वर एवं व्यंजन वर्ण, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 10 अंक
7. (क) हिन्दी शब्द—समूह : तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी 10 अंक
   (ख) हिन्दी शब्द—रचना : उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास 10 अंक
   (ग) हिन्दी अर्थ—विधान : पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द 20 अंक
8. कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान 10 अंक

प्रश्नपत्र—4

विषय— हिन्दी निबन्ध

नोट : इस प्रश्नपत्र के दो खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक निबन्ध लिखना अनिवार्य होगा। प्रथम खण्ड के निबन्ध के लिए 80 अंक और 800 शब्द तथा द्वितीय खण्ड के निबन्ध के लिए 120 अंक और 1200 शब्द निर्धारित हैं।

प्रथम खण्ड :
1. विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक क्षेत्र
3. कृषि, उद्योग एवं व्यापार
4. प्राकृतिक आपदाएँ—भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि

द्वितीय खण्ड :
1. साहित्य एवं संस्कृति
2. सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र
3. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय घटनाचक्र
4. राष्ट्रीय विकास—योजनाएँ एवं परियोजनाएँ

सचिव